भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1063
दिनांक 09.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में जल परीक्षण सुविधाएं और सेवाएं

1063 श्रीमती सुधा मूर्तीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपलब्ध जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है, साथ ही मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और उनके द्वारा परीक्षण किए जाने वाले प्रमुख मापदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ख) पेयजल की गुणवत्ता, भूजल संदूषण और जन स्वास्थ्य संरक्षण की निगरानी के लिए इन सुविधाओं के उपयोग के संबंध में सरकार का क्या आकलन है; और
(ग) स्थानीय समुदायों के लिए सुगम और वहनीय जल परीक्षण सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल परीक्षण इकाइयों, डेटा पारदर्शिता और मान्यता सहायता सहित उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या-क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने हेतु और पेयजल के नमूने संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार, 04.02.2026 तक, राज्य लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल, ब्लॉक, मोबाइल और/या डब्ल्यूटीपी सुविधा

प्रयोगशाला जैसे विभिन्न स्तरों पर 2,870 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क संचालित करते हैं। राज्य-वार ब्यौरा **संलग्न** है।

ग्रामीण समुदाय/जनता के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आम जनता के लिए मामूली दर पर पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए अपनी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के मौजूदा नेटवर्क की समीक्षा करें और राज्य में विभिन्न स्तरों पर और प्रयोगशालाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की स्थापना/तलाश करके इसे सुदृढ़ बनाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने द्वारा उत्पादित डेटा की विश्वसनीयता, सटीकता और भरोसा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता/प्रत्यायन प्राप्त करें। मूल्यांकनकर्ताओं की कमी या मान्यता स्लॉट में देरी सहित मान्यता प्रक्रिया में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाली समस्याओं/मुद्दों को दूर करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मान्यता प्रदान करने वाले निकायों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं।

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक "सिटीजन कॉर्नर" स्थापित किया गया है। इस "सिटीजन कॉर्नर" में ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पब्लिक डोमेन में ग्राम स्तर के जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों को प्रदर्शित करना शामिल है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत (सतही और भूजल दोनों), शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण बिन्दुओं पर पेयजल के नमूनों के व्यापक परीक्षण तथा जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है और जन स्वास्थ्य की भलाई के लिए आवश्यक है।

अनुबंध

श्रीमती सुधा मूर्ती द्वारा दिनांक 09.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1063 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण

(04.02.2026 तक)

क्र.सं.	राज्य	पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या					मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की कुल संख्या				
		राज्य	जिला/ क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/ मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल	राज्य	जिला/ क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/ मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	7	-	11	1	-	-	-	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	26	85	22	134	1	23	57	-	81
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	20	17	-	38	-	-	-	-	-
4.	असम	1	34	48	3	86	1	34	46	-	81
5.	बिहार	1	38	84	-	123	1	37	-	-	38
6.	छत्तीसगढ़	1	29	47	1	78	1	28	18	-	47
7.	दमण और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1
8.	गोवा	1	2	13	8	24	1	1	13	-	15
9.	गुजरात	1	33	46	329	409	1	33	42	-	76
10.	हरियाणा	1	21	22	-	44	1	21	21	-	43
11.	हिमाचल प्रदेश	1	14	62	8	85	-	14	56	-	70
12.	जम्मू और कश्मीर	2	20	76	-	98	2	20	20	-	42
13.	झारखंड	1	24	6	8	39	1	24	6	-	31
14.	कर्नाटक	5	32	48	22	107	4	29	47	-	80
15.	केरल	4	14	72	7	97	1	14	70	-	85

क्र.सं.	राज्य	पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या					मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की कुल संख्या				
		राज्य	जिला/ क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/ मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल	राज्य	जिला/ क्षेत्रीय	ब्लॉक/उप-प्रभाग/ मोबाइल	डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाएं	कुल
16.	लद्दाख	1	2	6	-	9	1	1	2	-	4
17.	लक्षद्वीप	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	1	51	103	32	187	1	51	103	-	155
19.	महाराष्ट्र	-	34	144	52	230	-	34	144	-	178
20.	मणिपुर	1	12	-	1	14	1	12	-	-	13
21.	मेघालय	1	11	18	35	65	1	7	-	-	8
22.	मिजोरम	1	11	15	1	28	1	2	-	-	3
23.	नागालैंड	1	11	-	-	12	1	11	-	-	12
24.	ओडिशा	1	30	46	83	160	1	26	21	-	48
25.	पुडुचेरी	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1
26.	पंजाब	1	23	9	-	33	1	23	7	-	31
27.	राजस्थान	2	32	20	26	80	1	32	-	-	33
28.	सिक्किम	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2
29.	तमिलनाडु	1	37	75	-	113	1	37	75	-	113
30.	तेलंगाना	1	35	40	40	116	1	31	-	-	32
31.	त्रिपुरा	1	8	12	-	21	1	8	12	-	21
32.	उत्तर प्रदेश	1	75	65	4	145	1	74	42	1	118
33.	उत्तराखंड	1	13	13	1	28	1	13	13	-	27
34.	पश्चिम बंगाल	2	23	214	2	241	2	23	192	-	217
कुल		**40**	**723**	**1,422**	**685**	**2,870**	**33**	**666**	**1,007**	**1**	**1,707**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस